रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265288
CG-DL-E-07082025-265288

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3540] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 3540] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

का.आ. 3627(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा " उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" (पैन: AAALU0160D) (इसमें इसके पश्चात " निर्धारिती " के रूप में संदर्भित) को (i) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं. 14) और (ii) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 6) के तहत गठित एक बोर्ड के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2025-2026 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती (i) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं. 14) और (ii) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(1974 का अधिनियम सं. 6) के अंतर्गत आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ गठित बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं. 130 /2025/फा. सं. 300195/34/2024-आईटीए-I(भाग)]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES))

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2025

S.O. 3627(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies the "Uttarakhand Pollution Control Board" (PAN:AAALU0160D) (hereinafter referred to as "the assessee"), a Board constituted under the (i) The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (Act No.14 of 1981) and (ii) Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (Act No.6 of 1974), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2025-2026, subject to the condition that the assessee continues to be a board constituted under the (i) The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (Act No.14 of 1981) and (ii) Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (Act No.6 of 1974), with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 130 /2025/F. No. 300195/34/2024-ITA-I(Part)]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA